बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग
मुख्यालय, अनुश्रवण

सं०सं०–ल०सिं०मो०–J.J.H.A. विविध–यो०–350/25019 – 1592 (मो०) / *पटना, दिनांक*– 19/8/2020

प्रेषक,

ई० रवीन्द्र कुमार सिंह,
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

सेवा में,

सभी कार्यपालक अभियन्ता,
लघु सिंचाई प्रमण्डल, ...।

विषयः–**राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने के सम्बन्ध में।**

प्रसंगः–**सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, ग्रामीण विकास विभाग, बिहार का पत्रांक–271073, दिनांक–26.06.2020**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा सूचना दी गयी है कि वैश्विक महामारी COVID-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण Social Distancing का अनुपालन करते हुए सामान्य सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को कराया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक अंकेक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पंचायत स्तर पर ग्राम–सभा–सह–जनसुनवाई आयोजित नहीं की जायगी। इस परिस्थिति में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराने का निर्णय लिया गया है।

पंचायतों में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की अवधि 04 दिनों की होगी। पंचायत स्तर पर वर्त्तमान में चल रही योजनाओं (On going schemes) का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण किया जायगा। अंकेक्षण दल के सभी सदस्य शाम को अपने–अपने घर वापस लौट जायेंगे।

अंकेक्षण सम्पन्न होने के पश्चात् अंकेक्षण दल प्रतिवेदन तैयार करेगा। प्रतिवेदन अगले दिन टीम लीडर द्वारा जिला संसाधन सेवी को समर्पित किया जायगा। जिला संसाधन सेवी द्वारा एक सप्ताह में प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी एवं सम्बन्धित विभाग को समर्पित किया जायगा।

अतः प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए अनुरोध है कि सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन करते हुए बदली हुई परिस्थिति में अपनी योजनाओं का Concurrent Social Audit करा लिया जाय।

अनु०–यथोक्त।

विश्वासभाजन,
19/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

ज्ञापांक– 1592 (मो०) / *पटना, दिनांक*– 19/8/2020

प्रतिलिपि–सभी अधीक्षण अभियन्ता, लघु सिंचाई अंचल/सभी मुख्य अभियन्ता, लघु जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19/8/2020
अधीक्षण अभियन्ता,
(मुख्यालय), अनुश्रवण,
लघु जल संसाधन विभाग, पटना।

D:\AWADH-2020\LETTER-20\AUG-20\CONCURRENT SOCIAL AUDIT-19-08-2020.DOCX

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी

बिहार, पटना

पत्रांकः 271073 दिनांकः 26/06/2020

SAS/EC.COM/32/2018

प्रेषक,

अरविन्द कुमार चौधरी, भा०प्र०से०
प्रधान सचिव
ग्रामीण विकास विभाग
बिहार, पटना।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/सचिव,
सभी विभाग
बिहार, पटना।

विषयः- राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराये जाने के सम्बन्ध में।

महाशय,

आप अवगत हैं कि मार्च 2020 से वैश्विक महामारी COVID-19 से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण Social Distancing का अनुपालन करते हुए सामान्य सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को कराया जाना सम्भव नहीं है। ऐसी परिस्थिति में सामाजिक अंकेक्षण की महत्वपूर्ण प्रक्रिया पंचायत स्तर पर ग्राम सभा-सह-जनसुनवाई आयोजित नहीं की जाएगी। इस परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराने का निर्णय लिया गया है।

इसके अंतर्गत पंचायतों में समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण की अवधि 4 दिनों की होगी। पंचायत स्तर पर वर्तमान में चल रही योजनाओं (On going Schemes) का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) किया जाएगा। पंचायतों में अंकेक्षण दल के सदस्यों के आवासन की व्यवस्था नहीं की जाएगी। अंकेक्षण दल के सभी सदस्य शाम को अपने-अपने घर वापस लौट जायेंगे।

अंकेक्षण संपन्न होने के पश्चात अंकेक्षण दल प्रतिवेदन तैयार करेगा। प्रतिवेदन अगले दिन टीम लीडर द्वारा जिला संसाधन सेवी को समर्पित किया जाएगा। जिला संसाधन सेवी द्वारा एक सप्ताह में प्रतिवेदन को जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभाग को समर्पित किया जाएगा।

सोसाइटी का पत्रांक 392833, दिनांक 09/10/2018 इस पत्र के साथ संलग्न है। उसी क्रम में दिनांक 1 जुलाई 2020 से विभिन्न योजनाओं का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराया जाना है। विदित हो कि मनरेगा की चल रही योजनाओं का दिनांक 01.07.2020 से समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराया जा रहा है। इसके अंतर्गत सामाजिक दूरी (Social Distancing) का अनुपालन करते हुए बदली हुई परिस्थितियों में Concurrent Social Audit किया जाएगा।

A143

179

जो विभाग अपनी संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराने के इच्छुक हैं, वे इस निमित्त सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी को समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) कराने को योजना की पूर्ण विवरणी के साथ अनुरोध भेज सकते हैं। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी बिहार द्वारा संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण (Concurrent Social Audit) करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पत्राचार हेतु सोसाईटी का पता निम्नवत है :-

राहुल रंजन माहिवाल, भा०प्र०से०
विशेष सचिव-सह-निदेशक
सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी
द्वितीय तल, खाद्य भवन, पश्चिमी भाग
दारोगा प्रसाद राय पथ, रोड नं0-2
बिहार, पटना- 800001
ई मेल- Socialaudit.bihar@gmail.com

अनु0 यथोक्तः-

विश्वासभाजन
(हस्ताक्षर) 25/6/2020

(अरविन्द कुमार चौधरी)
प्रधान सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक : 271073 दिनांक : 26/06/2020

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव/विकास आयुक्त, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 25/6/2020

प्रधान सचिव

बिहार सरकार
लघु जल संसाधन विभाग

सं0सं0:-प्र0-2/ल0ज0स0/बजट(विविध)-08/18 3094 पटना, दिनांक- 14.08.20

ई0-मेल

प्रतिलिपिः-अधीक्षण अभियंता(मु0),अनुश्रवण कोषांग,लघु जल संसाधन विभाग,पटना/सभी मुख्य अभियंता,लघु जल संसाधन विभाग, बिहार/जिन कार्यालयों को अपनी संचालित योजनाओं/कार्यक्रमों का समवर्ती सामाजिक अंकेक्षण कराने है वे सोसाईटी को योजना की पूर्ण विवरणी के साथ दिए गए पता पर अनुरोध भेजते हुए विभाग को भी अवगत कराया जाय ।

(हस्ताक्षर) 14/8

सरकार के अवर सचिव
लघु जल संसाधन विभाग

D:\TC-3\OSDR\WORK-01012013\TYPE SECTION\JANUARY 2018\MISLENOUS-2018.DOCX

178 | 21

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक- 392833 पटना, दिनांक- 09/10/18

SAS/EC.COM/32/2018

प्रेषक,

सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

सेवा में,

सभी प्रधान सचिव/ सचिव,
सभी विभाग,
बिहार ।

विषय : **राज्य सरकार के अधीन विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं/ कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में ग्राम पंचायतों में संचालित सरकार के विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों का निष्पक्ष, कारगर एवं पारदर्शी तरीके से सामाजिक अंकेक्षण कराने के लिए विभागीय संकल्प संख्या- 235358 दिनांक 18.06.2015 के द्वारा दिनांक 03.04.2017 को राज्य सरकार द्वारा स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण समिति (Society) का गठन किया गया है ।

1. सामाजिक अंकेक्षण का मूल उद्देश्य विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं/ कार्यक्रमों, विधियों तथा नीतियों के कार्यान्वयन में सार्वजनिक जवाबदेही सुनिश्चित कराना एवं जन भागीदारी से परियोजनाओं की निगरानी करना है । सामाजिक अंकेक्षण का उद्देश्य परियोजनाओं/ कार्यक्रमों एवं कार्यान्वयन एजेंसी पर आरोप लगाना नहीं, बल्कि तथ्यों का पता लगाना एवं कामगारों के अभिलेखों का कार्य स्थल पर जांच कर उसका सत्यापन एवं परियोजनाओं/ कार्यक्रमों में व्याप्त शिकायतों का निराकरण कराना है ।

2. विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण कराये जाने की मांग बढ़ती जा रही है । हाल के वर्षों में पंचायती राज संस्थाओं तथा स्थानीय शहरी निकायों द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन में अहम भूमिका निभाई जा रही है तथा एक बड़ी राशि व्यय की जा रही है । योजनाओं की गुणवत्ता तथा संबंधित संस्थाओं द्वारा कराया गया कार्य सरकार के मापदंड के अनुरूप है या नही को परखने के उद्देश्य से सामाजिक अंकेक्षण की आवश्यकता महसूस की जा रही है ।

3. सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया में लाभार्थियों की सीधी सहभागिता, संबंधित कार्यक्रमों के पदाधिकारियों/ कर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित करने तथा विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों को लागू करने में सामाजिक समूहों के योगदान को रेखांकित किया गया है ।

4. सोसाईटी के पास व्यवहारिक रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराने हेतु राज्य, जिला एवं पंचायत स्तर तक ढांचा उपलब्ध है । सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी के निदेशक एवं सलाहकार के पद पर विभागीय पदाधिकारी प्रभार में हैं । शेष पदों पर यथा- राज्य संसाधन सेवियों (State Resource Person), जिला संसाधन सेवियों (District Resource Person) को नियुक्त किया गया है ।

5. नवनियुक्त राज्य संसाधन सेवियों (State Resource Person), जिला संसाधन सेवियों (District Resource Person) को ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

आवेदन सं0 65

10/8/2018

128

..ना के सहयोग से 30 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है । प्रशिक्षणोंपरांत राज्य संसाधन सेवियों (State Resource Person) एवं जिला संसाधन सेवियों (District Resource Person) का टाटा समाजिक विज्ञान संस्थान (TISS), मुबंई द्वारा Certification भी किया गया ।

6. प्रशिक्षित जिला संसाधन सेवियों (DRPs) द्वारा पायलट के तौर पर खाद्य एवं उपभोक्त संरक्षण विभाग, बिहार के जन वितरण प्रणाली योजना का 02 जिलों- सीवान एंव अरवल के एक-एक पंचायतों में सामाजिक अंकेक्षण किया गया है । प्राप्त प्रतिवेदन आवश्यक कार्रवाई हेतु जिला को भेजा गया है ।

7. पंचायत स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण कराने के लिए 2337 ग्राम संसाधन सेवियों (Village Resource Person) को चिन्हित किया गया है । चिन्हित 2337 ग्राम संसाधन सेवियों (Village Resource Person) को राष्ट्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान (NIRD), हैदराबाद के सहयोग से 04 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण दिया गया है । इन्हीं प्रशिक्षित ग्राम संसाधन सेवियों (Village Resource Person) के द्वारा मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) का पंचायत स्तर पर जिला संसाधन सेवियों (DRPs) के पर्यवेक्षण में सामाजिक अंकेक्षण किया जा रहा है । जिसका सकारात्मक परिणाम परिलक्षित हो रहा है ।

8. सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित लोक कल्याणकारी एवं विकास परख योजनाओं/ कार्यक्रमों में सामाजिक अंकेक्षण जवाबदेही एवं पारदर्शिता लाने में काफी कारगर सिद्ध होगा । जो विभाग अपनी योजनाओं/ कार्यक्रमों का सामाजिक अंकेक्षण कराने के इच्छुक हैं, वे इस निमित्त सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी को योजना की पूर्ण विवरणी के साथ अनुरोध भेज सकते है। प्रस्ताव प्राप्त होने पर सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी, बिहार द्वारा संबंधित योजना के सामाजिक अंकेक्षण हेतु आवश्यक कार्रवाई की जायेगी । पत्राचार हेतु सोसाईटी का पता निम्नवत है:-

निदेशक,
सामाजिक अंकेक्षण सोसाईटी
द्वितीय तल, रेड क्रॉस भवन,
नॉर्थ गांधी मैदान,
पटना- 800001
ई मेल- socialauditbihar@gmail.com

विश्वासभाजन,
8/10/2018
(अरविन्द कुमार चौधरी)
सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

ज्ञापांक:- 392833 पटना, दिनांक:- 09/10/18

प्रतिलिपि:- मुख्य सचिव/ विकास आयुक्त, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित ।

8/10/2018
सचिव ।

आवेदन सं0-65 10/8/2018